अकादमी तम्बाकू एवं
प्लास्टिक निषेध क्षेत्र है।

मुद्रक : अंकित प्रिन्टर्स, जयपुर

Rajasthan Police Academy

सत्यमेव जयते

Security Justice & Peace

किशोर न्याय
(बालकों की देखरेख और संरक्षण)
अधिनियम, 2015

सवाल–जवाब

राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

सवाल–जवाब

मार्गदर्शिका

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट ऑफ पुलिस साइन्स एण्ड मैनेजमेन्ट
राजस्थान पुलिस अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

मार्गदर्शन

हेमन्त प्रियदर्शी, IPS
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

मनीष अग्रवाल, IPS
उप निदेशक एवं प्राचार्य
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

सम्पादन

सुमन चौधरी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

धीरज वर्मा
पुलिस निरीक्षक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

संकलन

धीरज वर्मा
यदुराज शर्मा (परामर्शद्)
विश्वास शर्मा (परामर्शद्)

प्रकाशन

राजस्थान पुलिस अकादमी
नेहरू नगर, जयपुर

आमुख

हम सब जानते हैं कि किशोर न्याय का विषय बहुत व्यापक है। इसमें बच्चों को आरोपित किए जा सकने वाले अपराधों की किस्म, पुलिस, न्यायालय, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा आमजन द्वारा बालकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के तरीके शामिल हैं। बचपन में उपेक्षा या हिंसक माहौल में रहने तथा अपराध में लिप्त होने के बीच बहुत गहरा संबंध है। घर में हिंसा के माहौल, उपेक्षा एवं मार्गदर्शन के अभाव में रहने पर बच्चे खुद हिंसक आचरण एवं परिवार से अलगाववादी मानसिकता अपना लेते हैं ओर विभिन्न प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं।

विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा पीड़ित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की उचित व्यवस्था करने तथा विधि से संघर्षरत किशोरों को समुचित न्याय सुनिश्चित करने के लिये किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 से लागू किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पृथक से किशोर न्याय व्यवस्था लागू की गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 पर आधारित है। जिसको 11 दिसम्बर 1992 में भारत सरकार ने भी समर्थन दिया है। अधिनियम में सभी उपबंध बाल संरक्षण एवं विधि से संघर्षरत किशोर के अधिकार सुनिश्चित

करने तथा पुलिस अधिकारियों को बाल हितैषी पुलिस बनाने के उद्देश्य से किये गये हैं।

राजस्थान में विगत कुछ वर्षों में बालकों के विरुद्ध अपराधों एवं विधि से संघर्षरत बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इनके लिए विधिक कार्यवाहियाँ, पुनर्वास एवं इनके अधिकारों का संरक्षण हमारे लिए चुनौती है। अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई, सम्प्रेक्षण, विशेष एवं बाल गृहों एवं विभिन्न संस्थाओं का गठन किया है जिन पर साथ मिलकर बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर प्रकाशित यह मार्गदर्शिका पुलिस अधिकारियों की समझ को बेहतर बनाने में एवं बच्चों के हित में न्यायपूर्ण कार्यवाहियों में मददगार साबित होगी।

हेमन्त प्रियदर्शी
अति. महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015–सवाल जवाब

1. बालकों के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र क्या है?

बच्चों के लिये विशेष संरक्षण और प्रोत्साहन की व्यवस्था करते हुये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर,1989 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणापत्र कहा गया। इसमें बच्चों के जीवनयापन, संरक्षण और विकास के लिए बात की गयी।

2. बाल अधिकार संधि क्या है, इसमें बालकों के क्या क्या अधिकार हैं?

20 नवम्बर, 1989 में 54 अनुच्छेद वाले दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य बैठक में पारित किया गया। 30 सितम्बर 1990 बच्चों के जीवन यापन, संरक्षण और विकास को लेकर एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें एक विश्व घोषणा तैयार की गई। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के 54 अनुच्छेद में बच्चों के अधिकारों को चार भागों में बांटा गया है जो उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास एवं सहभागिता के अधिकार दिये गये हैं।

3. उत्तरजीविता का अधिकार क्या है?

उत्तरजीविता के अधिकार के तहत बच्चों की जीवन रक्षा सुनिश्चित की गयी है। उन्हें उनके जीवन में आ रही बाधाओं जैसे यौन हिंसा, कन्याभ्रूण हत्या, बाल विवाह, बालश्रम, कुपोषण, आपदाओं से जीवन सुरक्षा दी गयी है। जीवन के लिए सुरक्षित आवास, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रत्येक को नाम एवं राष्ट्रीय पहचान देना इस अधिकार में शामिल है।

4. सुरक्षा का अधिकार क्या है?

प्रत्येक बच्चे को रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, स्तर या क्षेत्र आदि किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना एवं यौन दुर्व्यवहार या अवैध गतिविधियों से सुरक्षा, यातना या शोषण का शिकार होने से बचाना सुरक्षा के अधिकार में शामिल है।

5. विकास का अधिकार क्या है?

प्रत्येक बच्चे को सुखद भविष्य के लिए शारीरिक एवं मानसिक एवं बौद्धिक एवं कौशल विकास के अवसर मिले। विशेष बालकों को विशेष शिक्षा के प्रबन्ध हो। इसके लिए बच्चों को खेलने –कूदने, मनोरंजन एवं अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर भी हो।

6. सहभागिता का अधिकार क्या है?

बच्चों से उनके बारे में राय लेने निर्णय लेने के अवसर देने की का विचार ही सहभागिता है। बच्चों को घर–परिवार, आस–पड़ौस, समुदाय, स्कूल, कार्यस्थल एवं सामाजिक,

सांस्कृतिक जीवन स्थितियों में भी बोलने, राय देने एवं इसके लिए प्रोत्साहन की बात इस अधिकार के तहत की गयी है।

7. भारत के संविधान में बच्चों से संबंधित प्रावधान क्या–क्या हैं ?

भारत के संविधान के भाग 3 अर्थात ''मूल अधिकारों'' के अनुच्छेद 14,15,(3), 23(1), 24 और भाग 4 अर्थात् ''राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों'' के अनुच्छेद 39(एफ), 41, 44 एवं 45 में बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं।

8. राजस्थान में बाल संरक्षण की विभिन्न चुनौतियाँ क्या है ?

राजस्थान में बाल संरक्षण की मुख्य चुनौतियाँ बाल श्रम बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह, बाल शोषण व अत्याचार, बाल तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, घर से भागे एवं छूटे हुए बच्चे, शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित या बाधित बच्चे एवं जिनके माता पिता या संरक्षक नहीं हैं या माता पिता ने त्याग दिया है उन बच्चों को सुरक्षा एवं पुर्नवास प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

9. अधिनियम में बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के मुख्य सिद्धान्त कौन कौन से है?

अधिनियम में बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए मुख्य सिद्धान्त निर्दोषिता की उपधारणा, उनके साथ गरिमा एवं अधिकार सम्मत व्यवहार, सहभागिता के अवसर, सर्वोत्तम हित

में कार्यवाहियां किया जाना, कौटुम्बिक जिम्मेदारी, संरक्षण, समानता, सकारात्मक उपाय एवं नये सिरे से जीवन की शुरूआत किया जाना है।

10. बच्चा कौन है?

बाल अधिकार समझौते के अनुच्छेद 1 के अनुसार "18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(12) में भी बच्चे को इसी प्रकार परिभाषित किया गया है।

11. बालकों के संरक्षण के लिए देश में कौन कौन से प्रमुख कानून है?

बालकों के संरक्षण के लिए देश में भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बालक और कुमार श्रम (प्रतिबंध और विनियमन) अधिनियम 1986 बाल विवाह (प्रतिषेध) अधिनियम 2006 एवं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 प्रमुख हैं।

12. बाल मित्रवत पुलिस से क्या आशय है?

बाल मित्रवत पुलिस का आशय बच्चे के सर्वोत्तम हित में सोचते हुए बच्चे से जुड़ी सभी कार्यवाहियां चाहे वे स्वयं पुलिस के द्वारा विधायी कार्यों के संदर्भ में हो अथवा अन्य

सार्वजनिक या निजी समाज कल्याण संस्थाओं, कानूनी अदालत, प्रशासनिक अधिकारियों या विधायी संस्थाओं के साथ हो। पुलिस द्वारा बच्चों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हुए बच्चे के सर्वोत्तम हितों को बुनियादी प्राथमिकता दी जाये।

13. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 क्या है ?

विधि से संघर्षरत किशोर, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा पीड़ित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की उचित व्यवस्था करने तथा विधि से संघर्षरत किशोरों को समुचित न्याय सुनिश्चित करने के लिये किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के नाम से लागू हुआ है।

14. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

वर्तमान में जो अपराध न्याय व्यवस्था लागू है, वह बच्चों (आयु 0–18 वर्ष) पर लागू नहीं होती है, इसलिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पृथक से किशोर न्याय व्यवस्था लागू की गई है, जो कि किशोर न्याय मानक नियम, 1985 (बीजिंग रूल्स) संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 एवं बाल संरक्षण और अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए हेग कन्वेंशन 1993 दिशा–निर्देशों पर आधारित है। अधिनियम में सभी उपबंध बाल संरक्षण एवं विधि

से संघर्षरत किशोर के अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किये गये हैं।

15. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 अन्य कानूनों से कैसे भिन्न है?

यह बच्चों के मामलों में कल्याणकारी एवं बदलाव के आशय रखता है। अधिनियम की मंशा है कि बच्चों के साथ सामान्य अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जावे। अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों के साथ मित्रवत् व्यवहार करते हुए उनको पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाना आवश्यक है।

16. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में बालकों की मुख्य श्रेणियां कौनसी है?

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एक विशेष राष्ट्रीय अधिनियम है, जिसमें निम्नानुसार दो श्रेणियों के बच्चों को शामिल किया गया है–

1. विधि का उल्लंघन करने वाला बालक (धारा 2(13))
2. देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक (धारा 2(14))

17. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए इस अधिनियम में कौनसी संस्था कार्यरत है ?

इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में विभिन्न संस्थाओं किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर

पुलिस इकाई तथा विभिन्न सम्प्रेक्षण, विशेष एवं बाल गृहों की स्थापना की है, जिनमें बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण हेतु समस्त सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

18. किशोर न्याय बोर्ड से क्या आशय है?

विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई एवं जमानत एवं मामले के निस्तारण हेतु अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत गठित न्यायपीठ "किशोर न्याय बोर्ड" के नाम से जानी जाती है। बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट, जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट स्तर का हो, के अतिरिक्त दो गैर सरकारी सदस्य जिसमें कम से कम एक महिला होगी। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

19. किशोर न्याय बोर्ड को विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए जांच कितने समय में पूरी करनी होती है?

अधिनियम की धारा 14 के अनुसार छोटे अपराधों में बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले की जाँच बालक को पहली बार पेश करने से 4 माह की अवधि के भीतर की जाएगी। विषम परिस्थितियों का कारण लेखबद्ध किये जाने के बाद अधिकतम 2 माह की अवधि विस्तारित की जा सकेगी। विस्तारित अवधि के पश्चात जांच के अनिर्णित रहने पर कार्यवाही समाप्त हो जावेगी।

20. किशोर न्याय बोर्ड को जघन्य अपराधों की जांच के लिए कितना समय दिया गया है?

धारा 15 के अनुसार जघन्य अपराधों की दशा में प्रारम्भिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किये जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। इस जांच में बालक की अपराध करने की मानसिक/शारीरिक क्षमता तथा अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता व अपराध की स्थितियों की जांच की जाएगी।

21. अधिनियम में छोटे, गंभीर तथा जघन्य अपराधों से क्या आशय है?

छोटे अपराधों के अन्तर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विद्यमान विधि के अधीन अधिकतम दण्ड तीन वर्ष तक के कारावास से है 2(45)।

घोर अपराधों के अन्तर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विद्यमान विधि के अधीन अधिकतम दण्ड तीन से सात वर्ष के बीच के कारावास का है। 2(54)।

जघन्य अपराध के अन्तर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विद्यमान विधि के अधीन न्यूनतम दण्ड सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास का है। 2(33)।

22. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की जमानत के सम्बन्ध में अधिनियम में क्या प्रावधान है?

अधिनियम की धारा–12(1) के अनुसार जब किसी बालक ने जमानतीय या अजमानतीय अपराध किया है, पुलिस द्वारा निरूद्ध किया जाता है या बोर्ड के समक्ष लाया जाता है तब दण्ड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी बालक को प्रतिभू के साथ या बिना जमानत पर छोड़ा जायेगा या उसे किसी परीवीक्षा अधिकारी या किसी उपर्युक्त व्यक्ति के देखरेख के अधीन रखा जाएगा।

23. किशोर को जमानत पर कब नहीं छोड़ा जायेगा?

किशोर का युक्तियुक्त आधार पर छोड़ने पर संभावना हो कि बालक का सम्पर्क किसी ज्ञात अपराधी से होगा या उक्त बालक नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जायेगा या बालक के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाने की संभावना की स्थिति में जमानत पर नहीं छोड़ा जायेगा।

24. किशोर एवं वयस्क व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से अपराध किये जाने पर कार्यवाही की क्या प्रक्रिया होगी?

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 23 के अनुसार किशोर को उस व्यक्ति के साथ आरोपित या विचारण नहीं किया जायेगा, जो किशोर नहीं है। उस अपराध का संज्ञान लेने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा

किशोर तथा दूसरे व्यक्ति के लिए कार्यवाही पृथक–पृथक सक्षम न्यायालय/बोर्ड में प्रस्तुत की जाएगी।

25. बालक द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित होने पर किशोर न्याय बोर्ड क्या आदेश पारित कर सकता है?

अधिनियम की धारा–18 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड समुचित जांच करने के पश्चात ऐसे बालक को

(क) माता–पिता या संरक्षक को परामर्श

(ख) बालक को सामूहिक परामर्श एवं ऐसे कार्यकलापों में भाग लेने का आदेश

(ग) सामुदायिक सेवा का सम्पादन करने के लिये किशोर को आदेश

(घ) जुर्माना देने के लिये किशोर के माता–पिता या स्वयं किशोर को आदेश

(ङ) मानत (प्रतिभूति) के साथ अथवा जमानत (प्रतिभूति) के बिना सदाचरण की परिवीक्षा पर छोडे जाने का आदेश

(च) किसी स्वयंसेवी संगठन के अधीन 3 वर्ष तक रखे जाने का आदेश जो बालक अथवा किशोर की भलाई अथवा देखरेख कर सके

(छ) किशोर को 3 वर्ष की अवधि के लिये विशेष गृह में भेजे जाने का निर्देश दे सकता है।

किन्तु बालक के आचरण या व्यवहार के आधार पर उसे सुरक्षित स्थान पर भी भेजा जा सकता है।

26. किशोर न्याय बोर्ड कौनसे आदेश सजा के रूप में पारित नहीं कर सकते हैं?

अधिनियम की धारा–21 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड किशोर को मृत्युदंड, आजीवन कारावास से (या ऐसी किसी भी अवधि के कारावास से जो आजीवन कारावास तक की हो) दंडित नहीं कर सकेगा।

27. सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है? यह किसके द्वारा तैयार की जाती है?

विधि से संघर्षरत किशोर को प्रस्तुत करने के साथ ही परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आय के साधन, शिक्षा, अभिभावक या संरक्षक के सामाजिक स्तर इत्यादि के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है इसे सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कहा जाता है। जिन परिस्थितियों में किशोर को पकड़ा गया एवं आरोपित किये जाने का विस्तृत विवरण भी इस रिपोर्ट में संलग्न किया जाजा है। यह रिपोर्ट बोर्ड के निर्देशों पर परिवीक्षा अधिकारी के होने एवं नहीं होने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भी तैयार करायी जा सकती है।

28. बालक के दोषसिद्धि से संबंधित अभिलेखों को हटाने से सम्बन्धित क्या प्रावधान हैं?

धारा–24 कोई बालक जिसने अपराध कारित किया है और जिसके विरूद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है उस विधि के अन्तर्गत अपराध की दोषसिद्ध से संबंधित किसी अनर्हता से प्रभावित नहीं होगा परन्तु उस बालक के मामले में जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण की है या उससे अधिक है तथा उसे बाल न्यायालय द्वारा धारा 19 की उपधारा 1(i) के अनुसार वयस्क के रूप में विधि का उल्लंघन करने वाला पाया जाता है उस पर यह उपबन्ध लागू नहीं होगें ।

बोर्ड यह आदेश करेगा कि उस दोषसिद्धि से संबंधित अभिलेखों को अपील की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नष्ट कर दिया जावें। गम्भीर अपराधों धारा 19 की उपधारा (i) के खण्ड (1) के मामलों में ऐसे बालक की दोषसिद्धि के अभिलेखों बाल न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जावेगा।

29. किशोर द्वारा अभिरक्षा से निकल भागने/पलायन कर जाने पर किशोर के बाबत् अधिनियम के अन्तर्गत क्या उपबन्ध है?

अधिनियम की धारा 26 विशेष गृह, संप्रेक्षण गृह या उस व्यक्ति की देखरेख में जिसको अधिनियम के अन्तर्गत विधि के साथ विरोध वाले बालक को भेजा गया है। उनकी देखरेख से भाग चुका हो कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट के अपने प्रभार में ले सकता है। और उसे मूल आदेश पारित

करने वाले बोर्ड के समक्ष या उस निकटतम बोर्ड के समक्ष जहां बालक पाया जाता है पेश किया जायेगा। कोई भी अतिरिक्त पुलिस कार्यवाही उस बालक के संबंध में संस्थित नहीं की जायेगी लेकिन उस बालक को 24 घंटे के भीतर निकटतम या पूर्व में प्रस्तुत किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करना होगा।

30. परिवीक्षा अधिकारी से क्या अभिप्राय है?

अधिनियम की धारा 2 (48) परिवीक्षा अधिकारी से अभिप्राय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा डीसीपीयू के अधीन नियुक्त विधि–सहपरीवीक्षा अधिकारी से निहित है। इस अधिकारी का यह विशेष उत्तरदायित्व यह है कि वह बालक अथवा किशोर की पूर्ववर्ती और पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा जांच में सहायक अन्य तथ्यों का संकलन कर अपनी सामाजिक रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को संप्रेषित करें।

31. क्या अभिरक्षा में रह रहे बालक या किशोर को अन्य जगह स्थानान्तरित किया जा सकता है?

अधिनियम की धारा 93 के अनुसार मानसिक रूप से विक्षिप्त या कुष्ठ रोग, अल्कोहल या ऐसी अन्य नशीली औषधियों के सेवन से ग्रस्त बालक या किशोर का स्थानान्तरण उपचार आदि के लिये किशोर गृह अथवा विशेष गृह से स्थानान्तरित किया जा सकता है। उचित उपचार के लिये स्थानान्तरण की

अवधि चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर ही मान्य होगी।

32. सुरक्षित स्थान का इस कानून में क्या अर्थ है?

धारा 49 के अनुसार सुरक्षित स्थान का मतलब किसी स्थान यानि संस्था जो अधिनियम की धारा 41 के अनुसार स्थापित (जो पुलिस हवालात या जेल नहीं है) उस पंजीकृत संस्था से या व्यक्ति से है जो अस्थाई तौर पर किशोर बालक एवं बालिका की देखरेख को तैयार है तथा जिसे सक्षम अधिकारी या विभाग ने बालक की सुरक्षा के लिये सही ठहराया हो।

33. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक से तात्पर्य किन बच्चों से है?

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–2 (14) देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक से तात्पर्य निम्नलिखित बच्चों से है–

- जो भीख मांगता अथवा स्ट्रीट चिल्ड्रन या काम करता पाया जाता (बाल श्रमिक) है;
- जो किसी निवास या आश्रय या पर्याप्त रहने के स्थान और रोजमर्रा की मूलभूत आवश्यकताओं के बिना पाया गया हो
- जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है (भले ही वह बालक का संरक्षक हो अथवा नहीं) तथा ऐसा व्यक्ति

बालक को जान से मार देने अथवा चोट पहुंचाने के लिए धमकाता हो या उसके द्वारा ऐसा करने की आशंका हो।

- जिसने दूसरे किसी बालक को मारा हो, दुर्व्यवहार या उपेक्षा की हो तथा इस बालक को भी मारे जाने, दुर्व्यवहार या उपेक्षा का खतरा हो।
- जो शारीरिक व मानसिक रूप से निःशक्त या बीमारी से पीड़ित हो या बालक को किसी प्रकार का सहयोग अथवा देखभाल प्राप्त नहीं हो।
- जिसके अभिभावक/संरक्षक बालक की गतिविधियों को नियंत्रित करने के अयोग्य अथवा अक्षम हो।
- जिसके अभिभावक नहीं हैं एवं उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या अभिभावकों द्वारा परित्यक्त हो या खोया या भागा हुआ बालक और वह जिसे अभिभावकों द्वारा आवश्यक जांच के बाद भी खोजा नहीं जा सका।
- वह जो यौन दुर्व्यवहार या अवैध गतिविधियों के उद्देश्य से दुर्व्यवहार, यातना या शोषण का शिकार हो या होने की आशंका हो।
- वह जिसके कठिन परिस्थितियों जैसे मादक द्रव्य व्यसन एवं खरीद फरोख़्त में फंसने की आशंका हो।
- वह जिसके साथ अनैतिक लाभ के लिए दुर्व्यवहार करने की आशंका हो।

- वह जो सशस्त्र संघर्ष, दंगे–फसाद, प्राकृतिक आपदा का शिकार हो।
- उपरोक्त के अतिरिक्त वह जो देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाला बालक हो।

34. बाल कल्याण समिति क्या है एवं इसकी अधिनियम में विधिक स्थिति क्या है?

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संरक्षण, देखभाल एवं पुनर्वास संबंधी मामलों की जांच एवं निपटान हेतु अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत गठित न्यायपीठ "बाल कल्याण समिति" के नाम से जानी जाती है। राज्य के सभी जिलों में गठित बाल कल्याण समिति निर्धारित कार्य दिवसों पर राजकीय बाल गृह में बैठकें आयोजित करती हैं। समिति में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त चार गैर सरकारी सदस्य जिसमें कम से कम एक महिला होगी। जिनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

35. देखभाल या संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को समिति के समक्ष कौन प्रस्तुत कर सकता है?

अधिनियम की धारा 31 के अनुसार समिति के समक्ष किसी किशोर बालक या बालिका को चाइल्ड लाइन, पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या श्रम विधि के अधीन नियुक्त निरीक्षक, एक रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठन या ऐसे दूसरे स्वैच्छिक संगठन

या एक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अभिकरण संस्था या सामाजिक कार्यकर्ता अथवा कोई लोक कल्याण की भावना से ओत–प्रोत व्यक्ति एवं लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। बालक स्वयं भी बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत हो सकता है।

36. बाल कल्याण समिति के सम्बन्ध में क्या कार्य प्रक्रियाएँ है?

अधिनियम की धारा–28 के अनुसार समिति एक माह में कम से कम 20 बैठकें आयोजित करेंगी। बच्चों के कार्यकरण की जांच पड़ताल करने एवं बच्चे की भलाई में किया गया दौरा बैठक के रूप में माना जायेगा। किसी भी मामले में सदस्यों में मत भिन्नता होने पर बहुमत की राय अभिभावी होगी। अन्तिम निर्णय में तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

37. बाल कल्याण समिति की शक्तियाँ क्या है?

धारा–29 के अनुसार बाल कल्याण समिति देखरेख एवं संरक्षण के जरूतमन्द बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास एवं पुनर्वास के मामलों का निबटारा करने एवं उसके मूलभूत आवश्यकताओं तथा संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

38. बाल कल्याण समिति के उत्तरदायित्व क्या है?

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–30 के अनुसार बाल कल्याण समिति अपने

समक्ष पेश किये गये बालकों का संज्ञान लेना एवं ग्रहण करना, सुरक्षा एवं भलाई से सम्बन्धित एवं उसको प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करना, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों या जिला बाल एकक को रिपोर्ट के लिए निर्देश देना, पोषण देखरेख के लिए निर्देश देना, बालकों के लिए योग्य व्यक्ति का चयन एवं घोषणा करने के अधिकार है। इनके अलावा बालकों के आवास गृहों का माह में दो बार निरीक्षण करने, संस्थाओं के चयन एवं इनमें रह रहे बच्चों को दतकग्रहण के लिए आवश्यक नियमानुसार कार्यवाहियों के अधिकार है। लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बालकों के पुनर्वास की कार्यवाहियां लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन करना भी है। धारा 17 की उपधारा 2 के अधीन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों में कार्यवाही करना।

39. देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पाए जाने पर पुलिस क्या कार्यवाही करेगी?

अधिनियम की धारा–31 के अनुसार देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे किसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में पाये जाने पर बच्चे का नाम, पता मय विस्तृत विवरण एवं जिन कारणों से इस परिस्थिति में है को दैनिक डायरी (रोजनामचा) में दर्ज किया जायेगा। देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों को यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन के संबंधित बाल कल्याण पुलिस

अधिकारी द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्रवाई की जावेगी।

40. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कौन होता है ?

प्रत्येक पुलिस थाने में अधिनियम की धारा 107 (1) के तहत न्यूनतम सहायक उपनिरीक्षक स्तर का नामित अधिकारी जो बच्चों से जुड़े मुद्दों पर जानकारी रखने वाला हो एवं वह बच्चों के प्रकरणों को देखता हो उस पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कहा गया है।

41. विशेष किशोर पुलिस इकाई क्या आशय है?

अधिनियम की धारा 107(2) के तहत गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई में प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक स्तर का व दो सामाजिक कार्यकर्ताओं (एक महिला) होते हैं।

42. बाल संरक्षण में विशेष किशोर पुलिस इकाई की क्या भूमिकाएँ है?

विशेष किशोर पुलिस इकाई स्वैछिक एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय कर विधि से संघर्षरत एवं देखभाल एवं संरक्षण के आवश्यकता वाले बालकों के पुनर्वास करना, इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों के सम्पादन एवं अधिनियम की पालना के लिए विभिन्न कार्य करना है। जिला बाल कल्याण एकक जिले में बालकों के आवास गृहों

या आश्रयगृहों की सूचनाएँ रखेंगे। आश्रय की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बच्चों की सूचनाएँ संस्थाओं से प्राप्त करेंगे।

43. बाल संरक्षण में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की क्या भूमिकाएँ है?

किशोर या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं संगत नियमों के प्रावधानों से भली–भांति परिचित होकर थाना क्षेत्र के विधि से संघर्षरत बच्चों एवं संरक्षण व देखरेख वाले बालकों के मामलों को देखेगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि थाने की चाईल्ड हैल्प–डेस्क प्रभावी ढंग से कार्य करे। अपराध कारित बालिकाओं के मामलों में महिला अधिकारी की सहायता ली जायेगी। थाने में सूचना पट्ट पर जिले में गठित किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाईन, अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण/बाल गृह का नाम, पता मय दूरभाष नं. का प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा।

44. किशोर द्वारा अपराध किये जाने पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी क्या कार्यवाही करेंगे ?

राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) 2015 की धारा 10 के प्रावधानानुसार विधि से संघर्षरत किशोर/बालकों के साथ कार्य करते समय, साधारण अपराध में शामिल होने संबंधी मामलों में निकटतम पुलिस थाने का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक की केस डायरी में उसकी

सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उसे जिन परिस्थितियों में पकड़ा गया, का उल्लेख करेगा तथा यात्रा का समय छोडकर 24 घण्टों में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

45. बालकों के पुलिस के सम्पर्क में आने पर पुलिस द्वारा क्या सावधानियां बरतनी चाहिये?

- किशोर से पूछताछ गोपनीय एवं बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण में की जावे।
- बच्चों को हथकडी नहीं लगानी एवं बन्दीगृह में नहीं रखना चाहिये।
- विधि से संघर्षरत बच्चों का नाम, पता, तस्वीर एवं उससे संबंधित जांच को किसी समाचार पत्र, पत्रिका और टी.वी. में नहीं देना चाहिये।
- कार्यवाही एवं पेश करते समय यूनिफार्म का उपयोग नहीं करना चाहिये।
- किशोर को अन्य वयस्क अपराधियों के साथ नहीं रखना चाहिये।
- बालिकाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही के दौरान महिलाकर्मी को साथ रखा जाना चाहिये।
- आवश्यकतानुसार पुलिस द्वारा किशोर को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, दुभाषिया एवं जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध करायें।

- किशोर के अभिभावकों को तुरन्त उसके ख़िलाफ़ आरोपों के बारे में सूचित किया जायेगा।

46. अभिभावक, संरक्षक या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना देने की जिम्मेदारी किस पर है?

अधिनियम की धारा–13 के अनुसार पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पते तारीख व समय की सूचना उसके माता पिता या संरक्षक को दी जावेगी और उन्हें बालक की विधि का भंग करने के व्यवहार की जानकारी दी जावेगी। संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को बालक की सामाजिक पृष्टभूमि की रिपोर्ट बनाने की सूचना दी जावेगी। परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर बाल कल्याण अधिकारी दो सप्ताह के भीतर सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बनाकर बोर्ड के समक्ष पेश करेगा।

47. अधिनियम में बालकों के अभ्यर्पण के लिए क्या प्रावधान है?

अधिनियम के तहत कोई भी माता पिता या संरक्षक जो ऐसे शारारिक, भावनात्मक और सामाजिक कारणों से जो उसके नियंत्रण के परे है, बालक का अभ्यर्पण करना चाहता है, बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे।

48. किशोर के नाम इत्यादि के प्रकाशन पर निषेध के क्या प्रावधान है?

अधिनियम की धारा 74 अन्तर्गत बालक से संबधित किसी

जाँच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार पत्र पत्रिका या दृश्य–श्रव्य माध्यम से कोई भी रिपोर्ट में ऐसे बालक का नाम पता या विद्यालय या बालक की पहचान से संबधित कोई सूचना को प्रकाशित नहीं किया जायेगा जिससे की बालक की पहचान हो सकती है और न ही ऐसे बालक का चित्र प्रकाशित किया जावेगा। परन्तु जाँच करने वाला बोर्ड या समिति लिखित में अभिलिखित कारणों के पश्चात स्वीकृति दे सकती है यदि उसकी राय में वह बालक के सर्वोत्तम हित में है।

कोई भी व्यक्ति जो धारा 74 के प्रावधानों का उल्लघंन करता है वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी या जुर्माने से जो दो लाख रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। (74–3)

49. अधिनियम के तहत बाल देखरेख संस्था के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में क्या कानूनी प्रावधान है?

अधिनियम की धारा 42 के तहत बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था के भारसाधक किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों जो धारा 41 के उपधारा 1 के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहता या रहते है को एक वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। अधिनियम के तहत धारा 41 के उपधारा 1 के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक बाल देखरेख एवं संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था को अधिनियम लागू होने के छह माह के भीतर

रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है परन्तु पंजीयन के लिए आवेदन करने को प्रत्येक तीस दिन के विलम्ब को एक पृथक अपराध माना जायेगा (धारा–42)

50. अधिनियम में खुला आश्रय से क्या आशय है?

अधिनियम की धारा 43 के अनुसार राज्य सरकार या स्वैछिक संगठन यथानुसार बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए अल्पकालीक आवासीय आवश्यकता के लिए खुला आश्रय गृह स्थापित कर सकेंगे एवं नियमानुसार के अनुसार जिला बाल कल्याण एकक एवं बाल कल्याण समिति को आश्रय की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बच्चों की सूचना देंगे।

51. अधिनियम में बालकों के प्रति क्रूरता के सम्बन्ध में क्या प्रावधान किये गये है?

अधिनियम की धारा 75 के अनुसार जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधक या नियन्त्रक बालक को अनावश्यक रूप से जिससे मानसिक या शारारिक कष्ट संभव हो के लिए हमला करेगा, उसका परित्याग, उपेक्षा, उत्पीडित करेगा उसे तीन वर्ष का कारावास या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों सजाए दी जा सकती है।

52. अधिनियम में बालकों को भीख मांगने का नियोजन करने के सम्बन्ध में क्या दाण्डिक प्रावधान है?

अधिनियम की धारा 76 के अनुसार जो कोई बालकों को भीख मांगने के लिए नियोजित करता है या किसी बालक से भीख

मंगवायेगा उसके विरूद्ध कारावास जो पांच वर्ष तक हो सकता है एवं एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। अगर कोई इस उद्देश्य के लिए बालक का अंगोच्छेदन या विकलांग बनाता है जो उसे कारावास जो सात वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा एवं पांच लाख के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

53. बच्चों को कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ देता है या दिलवाता है तो अधिनियम में सजा के क्या प्रावधान है?

जो कोई भी कोई मादक लेकर या कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ किसी बालक को देता है या दिलवाता है। अधिनियम की धारा 77 के अनुसार 7 वर्ष का कारावास व एक लाख रूपये जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।

54. बच्चों को कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थों का विक्रय, फुटकर क्रय विक्रय, उसे रखने आपूर्ति या तस्करी कराता है तो अधिनियम में सजा के क्या प्रावधान है?

जो कोई भी बच्चों को कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थों का विक्रय, फुटकर क्रय–विक्रय, उसे रखने, आपूर्ति करने या तस्करी कराता है तो अधिनियम की धारा 78 के अनुसार कठिन कारावास जो 7 वर्ष तक हो सकता है एवं एक लाख रूपये से दण्डित हो सकेगा।

55. किसी व्यवसाय के प्रयोजनार्थ बालकों का नियोजन किये जाने पर क्या कोई सजा है?

अधिनियम की धारा 79 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी बालक को किसी भी प्रकार के व्यवसाय (जोखिमपूर्ण या गैर जोखिमपूर्ण) में नियोजित करता है, बन्धुआ रखता है और स्वयं के निजी अर्थोपार्जन के उद्देश्यों से बालक या किशोर से अर्थोपार्जन करवाता है, उसके विरूद्ध कठिन कारावास जो 5 वर्ष तक हो सकता है एवं एक लाख रूपये जुर्माने से दण्डित होगा। इसमें माल और सेवाओं का विक्रय और आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों में मनोरंजन करना भी आएगा।

56. अधिनियम में विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तकग्रहण करने के लिए क्या कोई दांडिक उपाय है?

अधिनियम में विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना जो कोई व्यक्ति, संगठन किसी अनाथ, परित्यक्त, या अभ्यर्पित बालक का दत्तकग्रहण करने के लिए प्रस्थापना करता है इस अधिनियम की धारा 80 के अनुसार व्यक्ति या संगठन दोनों को कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकता है एवं एक लाख रूपये या दोनों से दण्डित किये जाने के उपाय किये गये है।

57. अधिनियम में बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपापन से सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान है?

अधिनियम की धारा 81 के अनुसार जो कोई व्यक्ति बालकों का किसी प्रयोजन के लिए क्रय विक्रय करता या प्राप्त करता

है को कठिन कारावास जो 5 वर्ष तक हो सकता है एवं एक लाख रूपये जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

58. अनुशासन के नाम पर शारीरिक दंड के अधिनियम में क्या प्रावधान है?

अधिनियम की धारा 82 के अनुसार जो कोई किसी बालक को जो उसकी देखरेख या नियंत्रण में है को अनुशासन के नाम पर जानबूझ कर शारीरिक दण्ड देगा प्रथम दोष सिद्धि पर दस हजार के जुर्माने से एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जो तीन माह तक हो सकता है या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

59. बालकों को उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग करने के बारे में क्या प्रावधान है?

अधिनियम की धारा 83 के अनुसार जो कोई बालकों को उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग या भर्ती करता है तो वह ऐसे कठोर कारावास जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है और पांच लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

60. अधिनियम में निःशक्त बालकों पर किए गए अपराधों के लिए सजा के क्या प्रावधान किये गये है?

अधिनियम की धारा 85 के अनुसार जो कोई इस अध्याय में निर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध को, किसी निःशक्त

बालक पर किया जाना प्रमाणित होने पर ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए उपबन्धित दोहरी शास्ति का दायी होगा।

61. अधिनियम में अपराध के दुष्प्रेरण के लिए क्या प्रावधान है?

जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया गया है वह उस अपराध के लिए निर्धारित दण्ड से दण्डित होगा।

62. अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित अपराधों का वर्गीकरण एवं अभिहित न्यायालयों का वर्णन कीजिये?

जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दण्डनीय है वहां ऐसा अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और बाल न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। ऐसा अपराध जो तीन वर्ष या उससे अधिक किन्तु 7 वर्ष से कम है वहां ऐसा अपराध असंज्ञेय, अजमानतीय होगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। ऐसा अपराध जो तीन वर्ष से कम अवधि के कारावास से या केवल जुर्माने से दण्डनीय है वहां ऐसा अपराध असंज्ञेय , जमानतीय और किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय होगा।

63. अधिनियम के अन्तर्गत वैकल्पिक दण्ड क्या है?

जहां कोई कार्य या लोप कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के

अधीन भी दण्डनीय है वहां ऐसी किसी विधि में अंर्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन ऐसे दण्ड का भागी होगा, जो ऐसे दण्ड का उपबन्ध करता है जो मात्रा में अधिक है।

64. इस अधिनियम के अधीन बालक द्वारा अपराध कारित करने सम्बन्धी क्या प्रावधान है?

कोई बालक जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करता है वह इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जावेगा। (धारा 89)

65. बालगृह क्या है?

'बालगृह'' से मतलब सरकार या स्वयंसेवी संगठन द्वारा स्थापित तथा सरकार द्वारा प्रमाणित एक संस्था से है। ये बाल गृह दीर्घकालिक देखरेख एवं संरक्षण सम्बन्धी आवश्यकता हेतु अधिनियम की धारा 50 के अधीन राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्थापित किये गये हैं। इसमें बच्चे बाल कल्याण समिति की अनुशंसा पर बालगृहों में रखे जा सकते हैं।

66. शिशु गृह किसे कहा जाता है ?

शिशुगृह सरकार या स्वयंसेवी संगठन द्वारा स्थापित तथा सरकार द्वारा प्रमाणित एक संस्था से है। ये शिशुगृह दीर्घकालिक देखरेख एवं संरक्षण सम्बन्धी आवश्यकता हेतु आयुवर्ग 0–5 साल तक के बच्चों के लिए पृथक से होते हैं।

67. "विशेष गृह" से अभिप्राय क्या है?

"विशेष गृह" से अभिप्राय सरकारी या गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित संस्थान, गृह/घर जिसे शासन द्वारा धारा 48 के अधीन प्रमाणित किया गया हो। विशेष गृह का उद्देश्य विधि से संघर्षित बालक को किशोर न्याय बोर्ड की धारा 18 के अधीन किये गये आदेश के अनुसार विशेष गृह में रखकर बालकों का पुनः सामाजिकरण करना होता है।

68. अधिनियम में संरक्षक किसे माना गया है?

अधिनियम, 2015 की धारा 2 (31) 'संरक्षक' का अर्थ स्वाभाविक सरंक्षक यानि माता–पिता या वह व्यक्ति है जो बालक की देखरेख करता हो तथा सक्षम अधिकारी या प्राधिकरण ने मान्यता प्रदान की हो को माना गया है।

69. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक पाये जाने पर पुलिस क्या करेगी?

अधिनियम की धारा–31 के अनुसार जब कोई देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक किसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में पाया जाता है, थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के द्वारा बालक को बिना समय नष्ट किये अधिकतम 24 घण्टों में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है और उसे बाल कल्याण समिति के के द्वारा बाल गृह भेजने तथा अन्य आवश्यक अग्रिम कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

70. पुलिस को मिलने वाले नवजात शिशुओं/बच्चों के मामलों में क्या कार्यवाहियाँ है?

पुलिस ऐसे मामलों में बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को पेश करेगी। पुलिस को मिलने वाले नवजात शिशुओं के अज्ञात माता पिता पर कानून के अन्तर्गत' मामले को दर्ज करेगी। नवजात शिशु को तुरन्त चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल में भर्ती करा बाल कल्याण समिति को तुरन्त सूचित करेंगे। जानबूझकर ऐसा किये जाने पर अधिनियम की धारा 75 के अनुसार 3 वर्ष का कारावास एवं एक लाख रु. का जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अगर ऐसा किया जाना जैविक माता पिता के नियंत्रण के बाहर है ता ये प्रावधान लागू नहीं होगें।

71. किशोर/बालक द्वारा अपराध किये जाने पर अधिनियम के अन्तर्गत जांच कार्य की समाप्ति की कोई समय सीमा है?

अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश करने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऐसे निस्तारण के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् दो मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गयी हो, पूरी की जावेगी।

जहां किसी बालक ने कोई जघन्य अपराधों की दशा में प्रारम्भिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किये जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

72. अधिनियम में दत्तकग्रहण (गोद लेने की) प्रकिया से क्या मतलब है?

जो बालक या बालिका किसी कारणवश अपने वास्तविक (जन्म देने वाले) माता–पिता से स्थायी रूप से पृथक हो जाते हैं और ऐसे बालक को जिन माता–पिता को गोद दिया जाता है वो उनकी धर्मज (कानून द्वारा) संतान बनती है, दत्तक (गोद लेने वाले) माता–पिता द्वारा समस्त अधिकार, विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व दिये जाते हैं।

73. किसी भी भारत के नागरिक को किसी भी बालक को गोद (दत्तक) देने के प्रस्ताव पर क्या प्रक्रिया है?

अधिनियम की धारा 58 के अनुसार किसी भी बालक को गोद (दत्तक) देने के लिये प्रस्ताव पर बिना धर्म को विचार में लाये तो उसके लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित विनियमों में नियमानुसार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के समक्ष आवेदन करना होगा। अभिकरण आवेदनकर्ता का अध्ययन कराकर विधितः स्वतन्त्र बालक की घोषणा की जावेगी। इसके बाद अभिकरण अध्ययन एवं चिकित्सा रिपोर्ट सहित बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को पूर्व दत्तक देखरेख में देगा। दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्ति के लिए नियमानुसार में न्यायालय में आवेदन करेगा।

74. अधिनियम में अर्न्तदेशीय दत्तकग्रहण के क्या प्रावधान है?

विदेश में रहने वाला कोई नातेदार जो भारत में रहने वाले उसके नातेदार से बालक के दत्तकग्रहण का आशय रखता है वो न्यायालय से आदेश अभिप्राप्त करेगा और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तकग्रहण के विनियमों में रीति में प्राधिकरण से निराक्षेप प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करेगा।

75. न्यायालय दत्तक ग्रहण में दिये जाने के लिये किसे अनुमति दे सकता है?

न्यायालय दत्तक ग्रहण में दिये जाने के लिये अनुमति किसी व्यक्ति को चाहे उसकी वैवाहिक हैसियत कुछ भी हो या निःसन्तान युगल को बालक को ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकती है। अविवाहित या एकल पुरुष को बालिकाओं को गोद नहीं दिया जा सकता है।

76. अधिनियम बालकों की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है?

अधिनियम की धारा 94 के अनुसार विधि से संघर्षरत किशोर/बालक की आयु के प्रमाण हेतु मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण–पत्र, जन्म प्रमाण–पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत/शहरी निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि के माध्यम से आयु निर्धारण के प्रयास किये जायेंगे। किसी भी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में राजकीय चिकित्सालय में गठित स्थापित मेडीकल बोर्ड द्वारा आयु का निर्धारण करवाया जायेगा जिसे आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना है।

77. अनाथ परित्यक्त या समर्पित बच्चों के लिये सरकारी या किन्हीं स्वैच्छिक संगठनों की क्या भूमिकाएं है?

अधिनियम की धारा 40 एवं 41 देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बालक, जो अनाथ परित्यक्त या समर्पित है, पुनर्वास एवं समाज में पुनः मिलाने के लिये राज्य सरकार या किन्हीं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे, बालगृह और संस्थाएं यह सुनिश्चित करेगी कि इन बालकों को समिति

द्वारा गोद देने (दत्तक ग्रहण) के लिये मुक्त घोषित किया गया है और ऐसे सभी मामले उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्वान्तों के अनुसार ऐसे बालकों को गोद (दत्तक) देने के लिये ऐसे जिले को दत्तक एजेन्सी को सूचित किये जायेंगे।

78. अधिनियम में बालगृहों तथा भारतवर्ष में समान व्यवस्था (प्रकृति) वाले किशोर गृहों के मध्य स्थानान्तरण प्रक्रिया क्या है?

अधिनियम में धारा 96 के तहत राज्य सरकार बालक या किशोर के हित को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समय बोर्ड या समिति की सिफारिश पर में बालगृहों या विशेष गृहों के बालकों को राज्य में कहीं भी समान व्यवस्था वाले गृहों के मध्य स्थानान्तरण कर सकती है। जिले में स्थानान्तरण के लिए बोर्ड एवं समिति आदेश करने के लिए सक्षम होगी।

79. किसी भी बालक को किसी भी संस्था से निर्मुक्त करने के बारे में क्या प्रावधान है?

अधिनियम की धारा 97 के अनुसार बालकों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता या किसी भी संगठन की सिफारिश पर बोर्ड या समिति बालगृहों या विशेष गृहों के बालकों को आजीविका के लिए प्रशिक्षित करने या पुनर्वास के लिए देखरेख के लिए निर्मुक्त किया जा सकता है।

80. क्या बोर्ड किशोर या बालक को हाजिरी से मुक्ति दे सकता है?

अधिनियम की धारा 98 के अनुसार जब बोर्ड को यह प्रतीत

हो कि बालक या किशोर को किसी विशेष अवसरों जैसे परीक्षा, नातेदारों का विवाह, मित्र या परिजनों की मृत्यु या दुर्घटना या माता पिता के गम्भीर बीमारी या अन्य आकस्मितता में सम्प्रेक्षण के अधीन सामान्यतयाः एक बार में सात दिनों से अनधिक की अवधि के लिये छुट्टी या अवकाश पर भेजा जा सकता है।

परन्तु विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक छुट्टी की अवधि समाप्ति पर विशेष गृह में वापस आने में असफल रहता है तो उस अवधि का, जिसके लिए वह संस्था में रखे जाने का अभी भी दायी है, बोर्ड द्वारा उस अवधि के बराबर अवधि का विस्तार कर दिया जाएगा।

81. अधिनियम में सद्भावना से बच्चों के लिए की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण के लिए क्या प्रावधान है ?

अधिनियम की धारा–100 के अनुसार कोई भी वाद या विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या स्वैच्छिक संगठन या किसी बात की बाबत इस अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त किये गये कोई अधिकारी और कर्मचारी द्वारा सद्भावना रखते हुए कोई आदेश जारी किये जाने या उसके असफल रहने पर उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

82. अधिनियम में किशोर न्याय बोर्ड या समिति के द्वारा जारी किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति क्या कोई अपील कर सकता है?

इस अधिनियम की धारा 101 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के द्वारा जारी किये गये किसी

आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश जारी करने की तारीख से तीस दिन के भीतर पोषण देखरेख और पश्च देखरेख सम्बन्धी समिति के ऐसे विनिश्चयों के सिवाय जिनके सम्बन्ध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, बाल न्यायालय में अपील कर सकेगा। लेकिन यदि किशोर द्वारा धारा 15 के अधीन जघन्य अपराध के अलावा किए गए अपराध के मामले में बोर्ड ने उसे निर्दोष घोषित किया हो या 16 वर्ष की आयु पूरी होने पर दोषमुक्ति के मामले में अपील नहीं हो सकती। इस धारा के अधीन किसी अपील में पारीत बालक न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध कोई द्वितीय अपील नहीं होगी। बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का अधि. सं. 2) में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा।

83. जिला बाल संरक्षण एकक से क्या आशय है?

किसी जिले के लिए धारा 106 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक बाल संरक्षण एकक जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन एवं जिले में अन्य बाल संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित है।

84. किशोर न्याय निधि क्या है?

इस अधिनियम की धारा–105 के तहत राज्य सरकार द्वारा ऐसे नाम में जो वह उचित समझे या किशोर न्याय निधि इस अधिनियम में गठित किये जाने का प्रावधान किया गया है, इस निधि का उपयोग इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की गयी है के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए उपयोग की जा सकेगी।

❑ ❑ ❑